न्यायालय : मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण क्रम–1
(अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1) सांभर लेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी — अरविन्द कुमार जांगिड़, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मोटर दुर्घटना वाद संख्या — 239 / 2014

एन सी वी नम्बर — 1058 / 2014

मोहनलाल मीणा पुत्र बालूराम मीणा, उम्र तत्समय 50 वर्ष, निवासी पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।

....प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मोतीराम यादव, निवासी खेडीमिलक तहसील फुलेरा जिला जयपुर। (वाहन चालक व पंजीकृत वाहन मालिक बोलेरो गाड़ी संख्या– RJ-41-UA-0579)

2. दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. जरिये मंडलीय प्रबन्धक, कार्यालय प्रथम् एल एण्ड बी–2 गलैक्सी सिनेमा रिको इण्डस्ट्रीज एरिया मानसरोवर जयपुर।

(पॉलिसी क्रमांक / जेआरओ नम्बर – 123172)
(बीमित वाहन – बोलेरो गाड़ी संख्या – RJ-41-UA-0579)
(वैधता दिनांक – 22.02.2014 से 21.02.2015 तक)

....अप्रार्थीगण

मुआवजा याचिका अन्तर्गत धारा 140 / 166 एम.वी. एक्ट

उपस्थित :

1– श्री लालचंद कुमावत व श्री प्रकाश माचीवाल, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थी।
2– श्री निशांत शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 1।
3– श्री दीपेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या–2 बीमा कंपनी।

निर्णय

दिनांक : 21.05.2026

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह याचिका अन्तर्गत धारा 140 / 166 मोटर वाहन अधिनियम के तहत **स्वयं के** दुर्घटना में आई चोटों के बाबत् 14,65,000 /– रुपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.09.2014 को प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के **तथ्य संक्षेप** में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने याचिका में कथन किया है कि दिनांक 23.05.2014 को अपनी ऊंटगाडी में पशु चारा लेकर अपने गांव पूनाना से दिन के 4 बजे रवाना हुआ था उसके साथ उसका रिश्तेदार बोदूराम मीणा भी था। समय करीब 7.45 बजे रात जब श्याम आंगन आवासीय योजना हरसोली मोड के आगे पहुंचा था और प्रार्थी अपनी ऊंटगाडी को रोड की निश्चित साइड में चला रहा था इतने में उसी समय कालाडेरा की तरफ से एक बोलेरो गाडी सं. आर.जे.–41–यू.ए.–0579 को उसका चालक विपक्षी सं01 बडी तेजगति गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया और प्रार्थी की ऊंटगाडी के पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी की ऊंटगाडी क्षतिग्रस्त हुई तथा ऊंट के भी चोटे आयी तथा प्रार्थी की ऊंटगाडी के जोरदार टक्कर मारने

से प्रार्थी के भी गंभीर चोटे दोनों पैरो में आने से दोनों पैर टूट गये व शरीर पर जगह जगह चोटे आयी तथा प्रार्थी के रिश्तेदार के भी सिर, कमर व कुल्हे में चोटे आयी। उक्त दुर्घटना एक मात्र विपक्षी सं01 के द्वारा अपने वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई है। (शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वाहन बोलेरो गाड़ी नं. आर.जे.–41–यू.ए.–0579 को याचिका में आगे प्रश्नगत वाहन से संबोधित किया जावेगा)

3. आगे याचिका में कथन किए कि इस दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 149/2014 पुलिस थाना रेनवाल में दर्ज करवायी गयी, जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी सं. 1 वाहन चालक द्वारा वाहन स्वामी के लाभार्थ, हितार्थ व नियोजनार्थ चलाया जा रहा था तथा वरवक्त दुर्घटना दिनांक 23.05.2014 से पूर्व हष्टपुष्ट निरोगी 50 वर्षीय व्यक्ति था, जो अपने परिवारजनों खेती व पशुपालन व ऊंटगाड़ी चलाकर 10,000/– रूपये मासिक कमाकर देता था, किंतु सड़क दुर्घटना में आयी चोटों के कारण प्रार्थी भविष्य में प्राप्त होने वाली आय से वंचित हो गया है तथा शारीरिक व मानसिक कष्ट उठाना पड़ा। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 से पृथक्–पृथक् एवं संयुक्तत : रूप से क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

4. दिनांक 10.07.2019 को प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत याचिका अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज की गयी। तदुपरांत न्यायाधिकरण के समक्ष प्रार्थी की ओर से दिनांक 13.09.2023 को एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् किये जाने रेस्टोर मोटर दुर्घटना वाद पेश किये जाने पर दिनांक 28.11.2024 को प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर इस अधिकरण के द्वारा दिनांक 10.07.2019 को हस्तगत क्लेम याचिका अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश को अपास्त किया गया।

5. **अप्रार्थी सं. 1 वाहन चालक व रजिस्टर्ड स्वामी ने अपनी जवाब याचिका में** प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथनों में कथित किया कि कथित दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 01 की गलती से घटित नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 अपने वाहन बोलेरो गाड़ी नम्बर आर.जे.–41–यू.ए.–0579 को यातायात के नियमों के अनुसार सही गति सीमा में धीरे–धीरे संचालित कर रहा था, लेकिन प्रार्थी अपनी ऊंटगाड़ी को गफलत व लापरवाही से संचालित कर रहा था जिससे उसकी गाड़ी में लगा ऊंट विचलित हो गया और एकदम से रोड़ पर रूक जाने से उक्त दुर्घटना घटित हुई है। इसलिए उक्त दुर्घटना प्रार्थी की स्वयं की गलती से हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 की कोई गलती नहीं रही है। इसलिए प्रार्थी स्वयं की गलती से हुई दुर्घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार होने से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थी की क्षतिपूर्ति के लिए अप्रार्थी संख्या 1 का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। दुर्घटना दिवस के दिन वाहन बोलेरो गाड़ी नम्बर आर.जे.–41–यू.ए.–0579 अप्रार्थी संख्या 2 के यहां बीमित था। इसलिए उक्त वाहन की बीमा अवधि में किसी भी प्रकार दुर्घटना कारित होने पर उसका उत्तरदायित्व अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कंपनी का बनता है।

उक्त कथन कर अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. **अप्रार्थी सं. 2 बीमा कम्पनी ने याचिका के जवाब** में कथन किया है कि कथित दुर्घटना में प्रार्थी के द्वारा लिप्त बताये गये विवादित वाहन संख्या आर.जे. –41–यू.ए.–0579 के चालक के पास वक्त घटना उक्त वाहन को संचालित करने का वैध व प्रभावी चालक अनुज्ञा प्रमाण–पत्र व रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र नहीं था। कथित दुर्घटना में प्रार्थी के द्वारा लिप्त बताये गये विवादित वाहन संख्या आर.जे. –41–यू.ए.–0579 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा तेजगति व लापरवाहीपूर्वक संचालित करने के कारण उक्त घटना घटित नहीं हुई है। उक्त घटना प्रार्थी स्वयं के द्वारा अपनी ऊंटगाड़ी को लापरवाहीपूर्वक संचालित करने के कारण एवं ऊंट के अचानक चमक कर गलत दिशा में आने के कारण व दीगर कारणों से व दीगर वाहन से घटित हुई है, जिसका गलत तरीके से बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थी ने अपने परिचित अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर अनुसंधान अधिकारी से मिलकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर कानूनी राय लेकर झूठे तथ्य अंकित कर घटना की रिपोर्ट अगले दिन दर्ज करवाकर बिना घटना देखे अपने परिचितों के बयानात् लेखबद्ध करवाकर गलत आधारों पर विवादित वाहन को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा लापरवाही से संचालित करना बताकर विवादित वाहन व उसके चालक के खिलाफ झूठा आरोप–पत्र पेश करवाया है। प्रार्थी ने अपने ऊंट व ऊंटगाड़ी के नुकसान बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। विहित समयावधि में दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी है। प्रार्थी की क्षतिपूर्ति अदायगी का बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। प्रार्थी के द्वारा अपनी आय बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है....आदि। उक्त कथन करते हुए याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न **तनकीयात** कायम की गई –

1– आया प्रश्नगत वाहन सं. आरजे–41–यू.ए.–0579 को उसके चालक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 23.05.2014 को समय लगभग 7.45 पी.एम. पर पुलिस थाना रेनवाल के क्षेत्राधिकार में हरसोली, श्याम आंगन के पास में तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने के दौरान घटित दुर्घटना में प्रार्थी मोहनलाल के शरीर पर साधारण एवं गम्भीर उपहतियां कारित हुई ?

– प्रार्थी

2– आया वरवक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा स्वयं के स्वामित्व के वाहन बोलेरो नं. आरजे–41–यूए–0579 को अपने नियोजन/हितार्थ/लाभार्थ में चलाया जा रहा था ?

– प्रार्थी

3– आया अप्रार्थी सं. 2 अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों के अनुसार अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है, नहीं तो इसका प्रभाव ?

– अप्रार्थी सं. 2

4– आया दावेदार अपनी याचिका में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्यायसम्मत राशि पा सकता है, हां तो कितनी राशि व किस प्रकार से ?

– प्रार्थी

5– अनुतोष ?

8. **प्रार्थी साक्ष्य** में ए.ड.1 मोहनलाल की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 21 को प्रदर्शित करवाया।

9. **अप्रार्थी पक्ष** की ओर से किसी भी गवाह की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवायी गयी, न ही किसी दस्तावेज को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

10. **बहस उभय पक्ष** सुनी गयी।

11. दौराने बहस **अधिवक्ता प्रार्थी** ने याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया है कि प्रश्नगत वाहन सं. आरजे–41–यू.ए.–0579 को उसके चालक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 23.05.2014 को समय लगभग 7.45 पी.एम. पर पुलिस थाना रेनवाल के क्षेत्राधिकार में हरसोली, श्याम आंगन के पास में तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने के दौरान घटित दुर्घटना में प्रार्थी मोहनलाल के शरीर पर साधारण एवं गम्भीर उपहतियां कारित हुई। प्रार्थी के चोटें लगने से जयपुर रैफर किये जाने से घटना के एक दिवस बाद एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, जिस बाबत् प्रार्थी ने चिकित्सकीय दस्तावेज रेफरल कार्ड प्रदर्श पी 21 पेश किया है। उक्त दुर्घटना बाबत् दर्ज करायी गयी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान बोलेरो गाड़ी सं. आरजे–41–यूए–0579 के मालिक/चालक अप्रार्थी सं. 1 बाबूलाल के विरुद्ध चार्जशीट पेश की है। प्रार्थी के दुर्घटना में आयी चोटों के लिए अप्रार्थीगण याचिका में वर्णित मुआवजा राशि अदा करने के विरुद्ध दायित्वाधीन है। प्रार्थी के द्वारा याचिका में कथित तथ्यों के संदर्भ में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से संपुष्टि की गयी है, जिनका कोई खण्डन अप्रार्थी पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण से नहीं हुआ है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। उक्त कथन करते हुए क्लेम याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी को दिलाये जाने का निवेदन किया।

12. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता **अप्रार्थी सं. 1 वाहन मालिक/चालक** के द्वारा निवेदन किया गया है कि दुर्घटना में प्रार्थी ने क्लेम याचिका में गलत एवं बढ़ा–चढ़ाकर तथ्य प्रस्तुत किये हैं। अप्रार्थी सं. 1 की उक्त दुर्घटना घटित होने में कोई गलती अथवा लापरवाही नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने वाहन को अप्रार्थी सं. 2 के यहां बीमा करवा रखा है जिससे वाहन से उत्पन्न होने वाली समस्त क्षतियों की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी की क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

13. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता **अप्रार्थी सं. 2 बीमा कंपनी** के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रकरण में कथित बीमित वाहन को निराधार संलिप्त किया जाकर व मिलीभगत कर यह क्लेम प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कथित एफआईआर दुर्घटना के करीब 1 दिवस बाद दर्ज करायी गयी है, जिस विलम्ब के संदर्भ में कोई न्यायसंगत आधार प्रस्तुत नहीं हुआ है। कथित दुर्घटना प्रार्थी स्वयं की लापरवाही के कारण व उसके उंट के अचानक चमकने के कारण घटित हुई है। प्रार्थी ने कार्य व आय बाबत् दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराये हैं। कथित दुर्घटना से प्रार्थी की शारीरिक कार्य क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा कोई स्थायी निःशक्तता प्रमाण–पत्र पेश

नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी कोई भविष्यवर्ती आय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने अपने उंट व उंटगाड़ी के नुकसान के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। प्रकरण में प्रार्थी ने याचिका में उसकी उंटगाड़ी, मोबाइल व कपड़ों के संबंध में प्रतिकर की मांग की है, किंतु उक्त कपड़े, मोबाइल व उंटगाड़ी के संदर्भ में प्रतिकर हेतु प्रार्थी को पृथक् से वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रार्थी के द्वारा उक्त उंटगाड़ी, कपडे व मोबाइल के संबंध में प्रार्थी इस प्रकरण में कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की साक्ष्य से याचिका में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि नहीं हुई है। प्रार्थी के द्वारा निराधार क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी की क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

14. उभयपक्षों की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कायम की गयी तनकीयात पर अधिकरण का विनिश्चय निम्नानुसार है :—

तनकी सं. 1, 2 व 4 :

15. उपरोक्त तीनों तनकियां एक—दूसरे से संबंधित होने एवं साक्ष्य के विश्लेषण में शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुविधा की दृष्टि से, उक्त तीनों तनकियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन तनकियों को साबित करने का भार प्रार्थी पर है।

16. इस संबंध में प्रार्थी पक्ष की ओर से साक्ष्य में **ए.ड. 1 मोहनलाल** (स्वयं प्रार्थी) परीक्षित हुआ, जिसने क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किये है कि दिनांक 23.05.2014 को सुबह 7.30—8.00 बजे के मध्य वह अपनी उंटगाड़ी से चारा लेकर पुनाना से जा रहा था। उसके साथ उसका रिश्तेदार बोदूराम मीणा भी था। वह हरसोली मोड़ से आगे पहुंचा था कि कालाडेरा की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी संख्या आर.जे.—41—यू.ए.—0579 के चालक ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर गलत दिशा में आकर उंटगाड़ी के पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे उंटगाड़ी टूट गई व उंट के चोटें आई तथा उसके शरीर पर भी गंभीर चोटें, जिससे उसके दोनों पैर टूट गये। सिर, कमर व कूल्हे पर चोटें आई। उंट का पैर भी टूट गया था। उक्त दुर्घटना बोलेरो गाड़ी की लापरवाही के कारण घटित हुई थी जिसका मुकदमा पुलिस थाना रेनवाल में दर्ज करवाया था। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 2 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श 3 नक्शा—मौका घटनास्थल, प्रदर्श 4 फर्द जब्ती बोलेरो गाड़ी संख्या आर.जे.—41—यू.ए.—0579, प्रदर्श 5 फर्द जब्ती कागजात, प्रदर्श 6 फर्द सूरतें हाल, प्रदर्श 7 नोटिस अंतर्गत धारा 133, 134 एम.वी.एक्ट, प्रदर्श 8 मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट, प्रदर्श 9 चोट प्रतिवेदन मोहनलाल, प्रदर्श 10 एक्स—रे रिपोर्ट, प्रदर्श 11 फार्म नम्बर 23 (प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र), प्रदर्श 12 इंश्योरेंस, प्रदर्श 13 ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदर्श 14 चार्जशीट, प्रदर्श 15 लगायत 21 इलाज के बिल व पर्चीयां को प्रदर्शित करवाया। अधिवक्ता बीमा कम्पनी द्वारा प्रार्थी से किए गए **अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण** में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर. उसके साथ वालों ने लिखी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। चोट प्रतिवेदन पर उसके हस्ताक्षर है। इस दुर्घटना के बाबत् उसने कहीं से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की है। **अप्रार्थी संख्या 2**

के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि दुर्घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी थी। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दूसरे दिन दी थी। पुलिस मौके पर आई थी, जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। दूसरे दिन रिपोर्ट देने का कारण रिपोर्ट में लिख दिया था। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वाहनों की आवाज से उंट चमक गया हो और उंटगाड़ी का जुड़ा टूटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो तथा उंटगाड़ी में क्षमता से ज्यादा चारा भर रखा हो और सड़क पर गढ्ढे होने के कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई हो। गवाह ने आय के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जाना जाहिर किया। गवाह ने इस कथन से इंकार किया है कि उसका पैर टूटने से वह खेती का काम करने में सक्षम है, बल्कि उसका खेती का काम बंद हो गया है और उसके उठने–बैठने में भी तफलीफ है। गवाह ने इस कथन से इंकार किया कि उंट के चमक जाने से उंट का जुड़ा टूटने से दुर्घटना घटित हुई हो, बल्कि बोलेरो के टक्कर से दुर्घटना हुई थी। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी द्वारा याचिका में प्रस्तुत तथ्यों व प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा उसे लापरवाही से चलाये जाने से कथित दुर्घटना कारित किये जाने से प्रार्थी के शरीर पर आई चोटों के संबंध में कोई खण्डन प्रार्थी से किये गये प्रतिपरीक्षण में जाहिर नहीं हुआ है तथा इस गवाह की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है।

17. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावें, तो प्रकट है कि परिवादी मोहनलाल के द्वारा **तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–1** दिनांक 24.05.2014 को दर्ज करायी है कि दिनांक 23.05.2014 को वह उसकी उंटगाड़ी में पशु चारा लेकर उसके गांव पुनाना से दिन के 4 बजे रवाना हुआ था। उसके साथ उसका रिश्तेदार बोदूराम था। समय करीब 7.45 बजे वे श्याम आंगन आवासीय योजना हरसोली मोड़ से आगे पहुंचे थे। उसकी उंटगाड़ी रोड़ की निश्चित साइड में चल रही थी। इतने में समय 7.45 बजे कालाडेरा की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी संख्या आर.जे.–41–यू.ए.–0579 तेजगति से आई तथा उसकी उंटगाड़ी के पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे उसका उंट तथा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गये तथा उसके दोनों पैर टूट गये एवं शरीर में कई जगह अंदरुनी चोटें आई तथा उसके साथ बोदूराम के सिर, कमर व कुल्हे पर चोटें आई। इस घटना की सूचना रामकिशोर ने दी थी। एंबुलेस से उन्हें राजकीय अस्पताल किशनगढ़ रेनवाल में भर्ती करवाया तथा गंभीर चोटें होने के कारण उन्हें जयपुर रैफर कर दिया गया। वहां पर उसके दोनों पैरों के प्लास्टर व उचार करने तथा बोदूराम का उपचार करने के बाद वह आज दिनांक 24.05.2014 को रिपोर्ट दी...आदि। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट प्रश्नगत वाहन बोलेरो गाड़ी सं. आरजे–14–यूए–0579 के चालक की लापरवाही को वर्णित करते हुए, दर्ज करवायी गयी थी। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–149/2014 पुलिस थाना रेनवाल में दर्ज की गई, जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या–1 बाबूलाल को इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, उसके विरुद्ध **आरोप पत्र प्रदर्श 14** सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 279, 337, 388 भा.दं.सं. के अपराध में पेश किया गया। दिनांक 23.05.2014 को घटित दुर्घटना के बाबत् प्रार्थी मोहनलाल का **चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–9** में उसके शरीर पर कारित चोट का विवरण अंकित है तथा प्रार्थी के शरीर पर कारित गंभीर चोट के संदर्भ में **प्रदर्श 10 एक्स–रे** रिपोर्ट

प्रस्तुत की गई है। उक्त दस्तावेजात् के अवलोकन से प्रकरण में कथित दुर्घटना में प्रार्थी मोहनलाल के शरीर पर पांच चोटे कारित होना एवं उक्त चोटों में से चोट संख्या 1 बांये टखना पर गंभीर प्रकृति की होना पाया गया है। **फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श–3** के अनुसार 'एक्स' स्थान वह स्थान दर्शाया गया है, जहां पर प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से उंटगाड़ी के पीछे से टक्कर मारने से दुर्घटना कारित हुई। परिणामस्वरूप वक्त दुर्घटना उक्त उंटगाड़ी पर बैठे प्रार्थी मोहनलाल के चोटें कारित हुई। **फर्द जब्ती प्रदर्श–4** के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत वाहन को एवं **फर्द जब्ती प्रदर्श–5** के अनुसार प्रश्नगत वाहन के कागजात जब्त किये गये हैं। **प्रदर्श–4 फर्द जप्ती बोलेरो** में निरीक्षण के दौरान ड्राइवर के विपरीत साइड में सेफगार्ड बम्पर मोचा होना, इसी साइड की हैड लाइट टूटी होना और इसी साइड का बोनट पिचका हुआ होना अंकित किया गया है और **प्रदर्श–8** मैकेनिकल मुआयना में भी वाहन बोलेरो गाड़ी के बांये साइड के बोनट टूटा हुआ व बम्पर बांये साइड का टूटा हुआ है व विंड स्क्रीन शीशा टुटा हुआ होना बताया गया है। फर्द सूरतें हाल प्रदर्श पी 6 में उंटगाड़ी के दोनों टायरों के बीच धूरे के उपर की लकड़ी टूटी हुई होना तथा दोनों ओधन टाटी के पास से टूट कर नीचे लटक जाना व चारा बिखर जाना वर्णित किया गया है जिससे प्रकरण में प्रश्नगत वाहन द्वारा कथित उंटगाड़ी के पीछे से टक्कर मारने के अलामात होना जाहिर हुआ है तथा दुर्घटना के कारण प्रश्नगत वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर उसके बोनट, बम्पर व विंड स्क्रीन शीशा टूटा हुआ होना प्रकट हुआ है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 वाहन स्वामी व चालक ने यह कथन किया है कि उक्त घटित दुर्घटना में अप्रार्थी सं. 1 की कोई गलती अथवा लापरवाही नहीं रही है। जबकि **नक्शा मौका प्रदर्श 3** के अवलोकन से स्पष्ट है कि बोलेरो गाड़ी संख्या आर.जे.–41–यू.ए.–0579 के चालक द्वारा प्रश्नगत वाहन को उपेक्षा से चलाकर उंटगाड़ी के टक्कर मारने से उक्त दुर्घटना कारित हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्रदर्श 2 चाक एफ.आई.आर. में बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. में प्रस्तुत हुआ है तथा हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे कथित दुर्घटना के दिवस वाहन को नहीं चलाये जाने के तथ्य प्रकट हुये हो। स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जवाब में प्रश्नगत वाहन का कथित घटना के दिवस संचालन किया जाना कथित किया है। ऐसे में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि हस्तगत दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन बोलेरो संख्या–आरजे–14–यू.ए.–0579 के चालक की लापरवाही एवं उपेक्षा रही है तथा उक्त प्रश्नगत वाहन के स्वामी/चालक की उपेक्षा व लापरवाही के कारण घटित दुर्घटना में प्रार्थी को साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई।

18. जहां तक प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी संख्या–1 वाहन चालक द्वारा स्वयं के स्वामित्व के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ चलाये जाने का प्रश्न है, तो **रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श–11** के अवलोकन से प्रश्नगत वाहन का स्वामी अप्रार्थी संख्या–1 का ही होना प्रकट है, जिसे दौराने अनुसंधान **धारा 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श–7** दिया गया, जिसके जवाब में अप्रार्थी संख्या–1 ने स्वयं को प्रश्नगत वाहन को दिनांक 23.05.2014 को दुर्घटना के समय स्वयं ही गाड़ी चला रहा था और गाड़ी उसके ही नाम से होने बाबत् कथन

अंकित किये हैं। प्रकरण में अप्रार्थी बीमा कम्पनी के द्वारा प्रार्थी ए.ड. 1 मोहनलाल से की गयी जिरह में कथन किया है कि दुर्घटना की सूचना राहगिरों ने पुलिस को दी थी। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन दी थी। दूसरे दिन रिपोर्ट देने का कारण रिपोर्ट में लिख दिया था। गवाह ने इस कथन से इंकार किया है कि उंट के चमक जाने से उंट का जुडा टूटने से उक्त दुर्घटना घटित हुई है, बल्कि बोलेरो के टक्कर से दुर्घटना हुई थी, जिससे याचिका में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। ऐसे में अधिवक्ता बीमा कम्पनी व अप्रार्थी सं. 1 की आपत्ति सारहीन हो जाती है कि प्रकरण में कथित बीमित प्रश्नगत वाहन को निराधार संलिप्त किया जाकर व मिलीभगत कर यह क्लेम प्रस्तुत किया गया है।

19. प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन अप्रार्थीगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण से नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। प्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्य अखण्डित रही है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 1 वाहन स्वामी/चालक द्वारा प्रश्नगत वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाने से उंटगाड़ी के पीछे से टक्कर मारने से उंटगाड़ी पर बैठे प्रार्थी के शरीर पर गंभीर उपहतियां कारित होने के तथ्य साबित पाये जाते है।

20. अतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है कि प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल द्वारा दिनांक 23.05.2014 को 7.45 पी.एम. पर पुलिस थाना रेनवाल के क्षेत्राधिकार में हरसोली, श्याम आंगन के पास में तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के दौरान घटित दुर्घटना में प्रार्थी मोहनलाल के शरीर पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई।

21. प्रकरण में प्रश्नगत वाहन बोलेरो संख्या आर.जे.–14–यू.ए.–0579 से दुर्घटना कारित होना प्रकट हुआ है। प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां बीमित होने के संदर्भ में प्रार्थी पक्ष की ओर से दस्तावेज **प्रदर्श 12 बीमा प्रमाण पत्र** प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से प्रश्नगत वाहन का बीमा कम्पनी के यहां दिनांक 22.02.2014 से 21.02.2015 तक के लिए बीमित होना प्रकट हुआ है। प्रकरण में कथित दुर्घटना दिनांक 23.05.2014 को कारित हुई है। इस प्रकार वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां बीमित होना प्रकट है तथा अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थी को प्रतिकर अदायगी हेतु दायित्वाधीन है।

22. जहां तक प्रार्थी की **आयु व आय** का निर्धारण करने का प्रश्न है तो इस संबंध में याचिका में प्रार्थी की वरवक्त दुर्घटना आयु 50 वर्ष बतायी गयी है। जिस बाबत् पत्रावली पर मजरूब/प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 9 में प्रार्थी की आयु 50 वर्ष वर्णित है। उक्त दस्तावेज से प्रार्थी की आयु वक्त दुर्घटना 50 वर्ष होना प्रकट होता है। प्रार्थी की आयु के खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने से प्रार्थी की वरवक्त दुर्घटना **आयु 50 वर्ष निर्धारित** की जाती है।

23. जहां तक वक्त दुर्घटना प्रार्थी द्वारा **आय** अर्जित किये जाने का प्रश्न है, तो याचिका में प्रार्थी द्वारा खेती/पशुपालन का कार्य व उंटगाड़ी चलाने का कार्य करके 10,000/– रुपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है तथा अधिवक्ता बीमा कम्पनी द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि

उसने अपने कार्य व आय के संबंध में कार्य प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र व उक्त कार्य के बाबत् हिसाब–किताब एवं आई.टी.आर. दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

24. इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने **जिरह** में कथन किया है कि **उसने आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।** अतः प्रार्थी को वक्त दुर्घटना उपरोक्तानुसार आय अर्जित किया जाना स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी को एक अर्द्धकुशल श्रमिक मानकर आय का निर्धारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। हस्तगत दुर्घटना दिनांक 23.05.2014 की है तत्समय अर्द्धकुशल श्रमिक की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की दर **199/– रुपये** निर्धारित की गयी है। अतः **प्रार्थी की मासिक आय 199 x 30 = 5,970/– रुपये प्रतिमाह** निर्धारित किया जाना न्यायसंगत है।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2011) 1 सुप्रीम कोर्ट कैसेज 343 राजकुमार बनाम अजय कुमार में वाहन दुर्घटना के मामलों में आहत को प्रतिकर/नुकसानी के बाबत् प्रतिपादित सिद्धान्त/गाइड लाइन के आलोक में प्रार्थी की निम्नानुसार क्षतिपूर्तियां निर्धारित की जाती है –

आर्थिक नुकसानी (Pecuniary Damages (Special Demages)

Head (1) –

इस मद में आहत/प्रार्थी के उपचार में, अस्पताल में उपचाररत (भर्ती) रहने के दौरान, उपचार हेतु परिवहन के, सहायक के, पौष्टिक आहार हेतु व्यय व अन्य खर्चे (सामान की हानि आदि का) निर्धारण किया जाना है।

(क) आहत/प्रार्थी के उपचार का व्यय–

हस्तगत प्रकरण में वक्त दुर्घटना आयी चोटों के संदर्भ में प्रार्थी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श 9 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श 10 एक्स–रे रिपोर्ट व प्रदर्श 21 रेफरल कार्ड प्रस्तुत किये गये है तथा प्रार्थी द्वारा उपचार के सम्बन्ध में अन्य उपचार संबंधी प्रिस्क्रिप्शन, जांच एवं उपचार में हुए व्यय के बाबत् बिल/रसीद प्रदर्श 15 लगायत 20 प्रदर्शित कराये गये हैं। अतः उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी को उपचार में हुए व्यय के लिए **1,935/– रुपये** बतौर क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(ख) अस्पताल में उपचाररत (भर्ती) रहने के दौरान हुए आनुषंगिक व्यय–

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में कथन किये गये है कि उसके शरीर पर गंभीर चोटें आने से उसके दोनों पैर टूट गये, किंतु प्रार्थी ने उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती रहने बाबत् के सन्दर्भ में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः इस मद बाबत् प्रार्थी को कोई राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ग) उपचार हेतु परिवहन व्यय–

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने इस संबंध में परिवहन व्यय बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है। किन्तु प्रार्थी के शरीर पर कारित चोटों के उपचार हेतु प्रार्थी के द्वारा एस.एम.एस. अस्पताल में रैफर किये जाने बाबत् दस्तावेज रैफरल कार्ड प्रदर्श 21 प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत चिकित्सकीय दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का उपचार जयपुर, चौमू व

किशनगढ़ रेनवाल के अस्पतालों में एवं चिकित्सक से कराया गया है जिस सम्बन्ध में बिल, रसीद व उपचार के प्रेस्क्रिप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। जिस उपचार के परिवहन में प्रार्थी का व्यय होना जाहिर हुआ है। अतः प्रार्थी को इस मद में **50,000/— रुपये** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(घ) सहायक के खर्चे—

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा सहायक के खर्चे के बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है, किन्तु प्रार्थी द्वारा विभिन्न अस्पतालों में एवं चिकित्सक से उपचार कराया गया है। प्रार्थी को अपने उपचार हेतु सहायक की आवश्यकता रही है। अतः इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी को इस मद में **50,000/— रुपये** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(ङ) पौष्टिक आहार हेतु व्यय—

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा विभिन्न अस्पताल एवं चिकित्सक से उपचार के दस्तावेज/बिल/रसीद पेश किए गए हैं। इस प्रकार प्रार्थी के उपचार के दौरान पौष्टिक आहार हेतु व्यय होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थी को इस मद में **30,000/— रुपये** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(च) अन्य व्यय (सामान या सम्पति की हानि आदि)—

प्रार्थी ने याचिका में दुर्घटना में कपड़ों एवं वस्तुओं की हानि बाबत **30,000/— रुपये** दिलाये जाने बाबत अभिवचन किये हैं तथा प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में कथन किये गये है कि उक्त दुर्घटना में उसकी उंट गाड़ी टूट गयी व उंट के चोटें आई तथा दुर्घटना में उसकी उंटगाड़ी टूटने से 20 हजार रूपये का नुकसान हुआ है तथा उसके कपड़े फट गये और उसका मोबाइल टूट गया जिससे उसे 30 हजार रूपये की क्षति हुई है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श 1 तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 2 एफ.आई.आर. में प्रश्नगत वाहन के द्वारा प्रार्थी की उंट गाड़ी के पीछे से जबरदस्त टक्कर मारने से उंट व गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने के कथन वर्णित किये गये है तथा उंट व लढ़ा (गाड़ी) के सुपुर्दगी के संबंध में प्रदर्श 6 फर्द सूरतें हाल अस्थाई सुपुर्दगीनामा उंट व लढ़ा (गाड़ी) प्रार्थी को सुपुर्द किये गये है, जिसमें उंटगाडी पूर्णतया टूटने एवं दोनों टायरों के बीच धूरे के उपर की लकड़ी व दोनों ओधन टाटी के पास में टूटकर नीचे लटक जाने तथा उंट के संदर्भ में उसकी दाहिनी जांघ के पास, गर्दन के पास नीचे की तरफ रगड़क के निशान होना वर्णित किया गया है। प्रार्थी की ओर से टूटी हुई उंटगाड़ी के फोटोग्राफस पेश किये गये है। उक्त साक्ष्य व दस्तावेज के खण्डन में अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। किंतु प्रकरण में प्रार्थी पक्ष के द्वारा उंटगाड़ी टूटने से 20 हजार रूपये का नुकसान होने के संदर्भ में कोई बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व प्रकरण के तथ्यों—परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को उंटगाड़ी के टूटने के संदर्भ में **15 हजार रूपये** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रार्थी ने उसके कपड़े फट जाने व मोबाइल के टूटने के संदर्भ में कोई तथ्य प्रदर्श 1 तहरीरी रिपोर्ट व प्रदर्श 2 एफ.आई.आर. में वर्णित नहीं किये है तथा न ही प्रार्थी की ओर से इस संदर्भ में कोई बिल व फोटोग्राफस प्रस्तुत किये गये है। अतः प्रार्थी को कपड़े व मोबाइल टूटने के संदर्भ में कोई प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Head (II) –

इस मद में आहत/प्रार्थी के उपचार की अवधि में आय की क्षति व स्थायी निःशक्तता के कारण भविष्य की आय की क्षति के बाबत निर्धारण किया जाना है।

(क) उपचार की अवधि में आय की क्षति–

इस संबंध में याचिका में प्रार्थी द्वारा खेती/पशुपालन का कार्य व उंटगाड़ी चलाने का कार्य कर 10,000/– रुपये मासिक की आय अर्जित करना बताया है तथा साक्ष्य में कथन किये है कि दुर्घटना के समय वह खेती व पशुपालन का कार्य कर 10 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। किंतु ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराये जाने से व साक्ष्य में कथित कथनों के अवलोकन के उपरान्त प्रार्थी को अर्द्धकुशल श्रमिक मान कर मासिक आय 5,970/– रुपये निर्धारित की गयी है। प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उक्त घटना से अब वह काम करने में असमर्थ हो गया है, किंतु प्रकरण में प्रार्थी की ओर से निःशक्तता के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 9 चोट प्रतिवेदन व प्रदर्श 10 एक्स–रे रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी को टखने पर गंभीर उपहति कारित हुई है, जिस संदर्भ में प्रार्थी का उपचार में व्यय होना एवं उक्त अस्थिभंग या गंभीर उपहति से प्रार्थी का घटना दिवस के उपरांत करीब 4 माह तक आय प्राप्त करने में असमर्थ होना प्रकट हुआ है। इस प्रकार आय की हानि की मद में प्रार्थी को (5,970 X 4) 23,880/– रूपये दिलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

(ख) स्थायी निःशक्तता के कारण भविष्य की आय की हानि–

इस संबंध में, प्रार्थी ने याचिका में दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उसके दोनों पैर टूट जाना कथित किया है। साक्ष्य में प्रार्थी ने कथन किया है कि दुर्घटना में उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई, जिससे उसके दोनों पैर टूट गये तथा सिर, कमर व कूल्हे पर चोटें आयी। प्रार्थी के द्वारा साक्ष्य में प्रदर्श 9 चोट प्रतिवेदन व प्रदर्श 10 एक्स–रे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रार्थी के शरीर पर 5 चोटें कारित होना व उसके टखने पर गंभीर उपहति कारित होना प्रकट हुआ है। किंतु प्रार्थी की ओर से इस संदर्भ में कोई स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार कथित उपहति कारित होने से प्रार्थी का कार्य करने में स्थायी रूप से निशक्त होने/कार्य करने में असमर्थ होने से भविष्य की आय की हानि के तथ्य प्रकट नहीं हुये है। अतः प्रार्थी को इस मद में कोई राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Head (III) –

भविष्य में उपचार का खर्च–

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से दिनांक 23.05.2014 को दुर्घटना में आई चोटों के बाबत् दस्तावेज प्रदर्श 9 चोट प्रतिवेदन व प्रदर्श 10 एक्स–रे रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से कथित दुर्घटना में प्रार्थी के कुल 5 चोटें कारित होना व उनमें से एक चोट टखने पर अस्थिभंग (गंभीर उपहति) होना प्रकट हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी को भविष्य में उपचार, चिकित्सकीय पर्यवेक्षण/जांच के संबंध में **20,000/– रुपये** दिलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत

होता है।

गैर आर्थिक नुकसानी (Non - Pecuniary Damages (General Demages)

Head (IV) – चोटों के परिणामस्वरूप कष्ट, वेदना, शारीरिक व मानसिक संताप के लिए नुकसानी–

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से कथित दुर्घटना से प्रार्थी के दोनों पैर टूट जाना जाहिर हुआ है, जिसके कारण प्रार्थी को कष्ट, वेदना, शारीरिक व मानसिक संताप कारित होना प्रकट हुआ है। अतः इस मद में प्रार्थी को **20,000/– रुपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Head (V & VI) – जीवन की सुख–सुविधा एवं जीवन की प्रत्याशा या दीर्घायु की कमी की क्षति–

प्रकरण में प्रार्थी की आयु 50 वर्ष निर्धारित की गयी है। कथित दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रार्थी को साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी को इस मद में एकमुश्त रुप से **50,000/– रुपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी को उपरोक्त विवेचनानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना न्यायसंगत है–

कमांक	**मद**	**राशि**
	Pecuniary Damages	
1	आहत/प्रार्थी के उपचार का व्यय	1,935
2	अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुए व्यय की मद में	–
3	उपचार हेतु परिवहन की मद में	50,000
4	सहायक के खर्चे की मद में	50,000
5	पौष्टिक आहार की मद में	30,000
6	अन्य व्यय (सामान या सम्पति आदि की हानि) की मद में	15,000
7	उपचार की अवधि में आय की क्षति की मद में	23,880
8	स्थायी निःशक्तता के कारण भविष्य की आय की हानि की मद में	–
9	भविष्य के उपचार के खर्च की मद में	20,000
	Non - Pecuniary Damages	
10	कष्ट, वेदना, शारीरिक व मानसिक संताप की मद	20,000/–
11	जीवन की सुख–सुविधा एवं जीवन की प्रत्याशा या दीर्घायु की कमी की क्षति के मद में	50,000/–
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**2,60,815/– रुपये**

26. जहां तक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्रार्थी पक्ष को ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा याचिका में प्रार्थी को 14,65,000/– रुपये एवं उक्त प्रतिकर राशि पर दुर्घटना दिनांक से अदायगी तक 18 प्रतिशत ब्याज अप्रार्थी पक्ष से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एम.सी.डी. बनाम एसोसियेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी, ए.आई.आर. 2012 (एस.सी.) पेज 100 व नरेन्द्र सिंह बनाम निशान्त शर्मा व अन्य सिविल अपील नम्बर 7109/2013 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थी पक्ष याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 26.09.2014 से 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्ति का अधिकारी है। अतः अप्रार्थी पक्ष प्रार्थी पक्ष को याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 26.09.2014 से अदायगी तक कुल क्षतिपूर्ति राशि 2,60,815/– रुपये मय 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु दायित्वाधीन है। अतः तनकी सं. 1, 2 व 4 प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 :

27. इस तनकी का प्रमाण भार अप्रार्थी बीमा कम्पनी पर था। दौराने बहस अधिवक्ता बीमा कम्पनी द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति उठायी गयी कि घटना दिनांक 23.05.2014 की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.05.2014 को दर्ज करवायी गयी है। प्रदर्श 1 तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी मोहनलाल ने मजरूब के पैर में गंभीर चोट लगने व मजरूब को जयपुर रेफर किया जाना कथित किया है। इस संबंध में मजरूब के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात् चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 9 पेश हुआ है। इस प्रकार इलाज के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र अवलोकन से प्रकट होता है कि मजरूब का दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात उसका इलाज चला। इस बाबत विधिक स्थिति का अवलोकन किया जाये, तो एफ.आई. आर. के विलम्ब के बाबत् न्यायिक दृष्टान्त 2011(1) CCR 353 (SC) Ravi Vs Badrinarayan & Ors (सिविल अपील सं. 1926/2011 निर्णय दिनांक 18.02.2011) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि – जहां यान स्वामी एवं वाहन चालक ने दुर्घटना को स्वीकार किया हो तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने में हुए विलम्ब को ऐसी कार्यवाही में घातक नहीं माना जाना चाहिए, यदि दावाकर्ता इसके संतोषजनक एवं स्पष्ट कारणों का उल्लेख करने में समर्थ हो जाता है, वहां विलम्ब माफ किए जाने योग्य है तथा एफ.आई.आर. के विलम्ब से दायर करने के आधार पर दावा याचिका खारिज करने को न्यायोचित नहीं पाया। हस्तगत प्रकरण के कथित दुर्घटना के समय प्रार्थी के शरीर पर गंभीर चोटें कारित होना प्रकट हुआ है। प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 तहरीरी रिपोर्ट में प्रार्थी ने दुर्घटना के उपरांत उसे अस्पताल किशनगढ़ रेनवाल में भर्ती कराया जाना व गंभीर चोटों के कारण उसे जयपुर में रैफर किये जाने व उसके उपरांत दोनों पैरों के प्लास्टर व उपचार करने तथा बोदूराम का उपचार करने के बाद उसने दिनांक 24.05.2014 को रिपोर्ट दी है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में मजरूब के इलाज में व्यस्त होने के कारण व प्रदर्श 1 में वर्णित परिस्थितियों में दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल प्रार्थी के द्वारा करवाये जाने में असमर्थ होना प्रकट होता है। दुर्घटना के पश्चात् आहत का उपचार करना ही प्राथमिकता रहती है, उसके पश्चात् ही

विधिक कार्यवाही के बारे में विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में घटना के एक दिवस उपरान्त अगले दिवस एफ.आई.आर. विलम्ब से दर्ज कराना दुर्घटना दावा की कार्यवाही के लिए घातक नहीं माना जा सकता। अतः बीमा कम्पनी की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाने संबंधी आपत्ति मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

28. जहां तक दुर्घटना की सूचना विहित समय सीमा अवधि में बीमा कम्पनी को नहीं दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं दी गयी है परन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल मात्र इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर क्लेम याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

29. उक्त किये गये विवेचन से अप्रार्थी बीमा कम्पनी अपने उत्तर आवेदन में अंकित आपत्ति के अनुसार अपने दायित्वों से मुक्त होने की अधिकारी नहीं पायी जाती है। अतः तनकी सं. 3 बीमा कंपनी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

अनुतोष –

30. तनकी संख्या 1, 2 व 4 उपरोक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में एवं तनकी सं. 3 अप्रार्थी संख्या–2 के विरुद्ध निर्णित हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका विरुद्ध अप्रार्थीगण संयुक्ततः तथा पृथक–पृथक रुप से निम्नानुसार आंशिकतः स्वीकार किए जाने योग्य है।

पंचाट

31. अतः प्रार्थी मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका विरुद्व अप्रार्थीगण संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रुप से आंशिक स्वीकार की जाकर, आदेश दिया जाता है कि –

1– प्रार्थी मोहनलाल अप्रार्थीगण से **2,60,815/–रुपये** की राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त करेगा।

2– अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर क्लेम पेश करने की दिनांक 26.09.2014 से वसूली तक **9 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज** अदा करें।

3– क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी को निम्नानुसार विभाजित की जावेगी :

क. सं.	**प्रार्थी का नाम**	**बचत खाते में जमा राशि**
1.	मोहनलाल	2,60,815/– रुपये

32. **अप्रार्थी संख्या–2 बीमा कंपनी को आदेशित किया जाता है कि अधिकरण द्वारा जारी पंचाट के अनुसार प्रार्थी को प्रतिकर** की राशि का संदाय यथासंभव शीघ्र या अधिकतम एक माह की अवधि में इस न्यायाधिकरण के बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सांभर लेक(600), खाताधारक– न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, सांभर लेक के खाता संख्या 83051198141 आईएफएससी कोड संख्या RMGB0000600 में जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से करें तथा इसकी सूचना प्रार्थीगण व इस अधिकरण को प्रेषित करें।

33. प्रकरण का व्यय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(अरविन्द कुमार जांगिड़)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण क्रम–1,
(अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1)
सांभर लेक, जिला जयपुर

34. निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जांगिड़)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण क्रम–1,
(अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1)
सांभर लेक, जिला जयपुर